न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 55/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रूपाराम पुत्र धनाराम 2– सालुराम पुत्र लिसमणराम 3– गोकलराम पुत्र कोजाराम 4– पेमाराम पुत्र डूंगराराम 5– दौलाराम पुत्र डूंगराराम 6– खेताराम पुत्र केहराराम 7– गुलाराम पुत्र केहराराम 8– रामाराम पुत्र चुतराराम 9– गंगाराम पुत्र केहराराम 10–मांगाराम पुत्र केहराराम समस्त जातियान जाट निवासीगण सेखडो की बेरी, ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1– वीरमाराम पुत्र बांकाराम 2– गंगाराम पुत्र बांकाराम 3– जालू उर्फ जालाराम पुत्र बांकाराम 4– कोहला पुत्र बांकाराम 5– हरीराम पुत्र मुकनाराम समस्त जातियान सुथार निवासीगण सोखडो की बेरी, ग्राम पंचायत साजियाली रूपजी राजाबेरी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर 6– राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 113/2016 अनवान वीरमाराम वगैरा बनाम अचलाराम वगैरा मे दिनांक 10–06–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सुखदेव अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी एवं नेखमबंदी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 19 रकबा 43.12 बीघा, खसरा नंबर 21 रकबा 13.17 बीघा, खसरा नंबर 71 रकबा 4.18 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 0.04 बीघा तथा खसरा नंबर 230/85 रकबा 187 बीघा कुल 249.17 बीघा भूमि सरहद मौजा सोखडो की बेरी, पटवार क्षेत्र साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा मे आई हुई है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि विप्रार्थीगण, प्राथीगण की उक्त खातेदारी भूमि के पडौसी है जिनसे हमारे खेत की सीमा सेढो को लेकर विवाद बना रहता है, जिससे काश्त के समय परेशानियो का सामना करना पडता है इसलिए इस विवाद को निबटाने के लिए प्राथीगण हमारे उक्त खातेदारी खेतो की सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं नेखमबंदी करवाने हेतु नितेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत केम्प मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–6–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि की पैमाईश एवं

अति॰ सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

नेखमबंदी करने हेतु भू मापककर्ता को नियुक्त कर निर्देश प्रदान किये गये कि वे दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे एवं यह भी निर्देश दिये कि यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे एवं नेखमबंदी कर पालना पेश करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 10–6–2016 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाज़ा के समक्ष धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित है । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाया गया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने का आदेश अवश्य दिया परंतु पत्रावली मे नोटिस तामिल हुए बिना ही पत्रावली को कैम्प कोर्ट मे रखते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मे पक्षकारान की उपस्थिति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि वर्तमान अपीलांटगण को केम्प मे पत्रावली को रखने बाबत कोई जानकारी ही नही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्थरगढी बाबत आदेश तब ही पारित कर सकता है जब धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रभावित पक्षकारो की मौजुदगी मे निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध हो । परंतु वर्तमान मामले मे पत्रावली पर कोई निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट नही होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राजस्व लोक अदालत केम्प मे केवल उन्ही मामलो का निस्तारण किया जा सकता है जिनमे दोनो पक्षकार उपस्थित हो तथा राजीनामा पेश हुआ हो । परंतु वर्तमान मामले मे केवल एक पक्षकार (प्रार्थी) की उपस्थिति बताते हुए अन्य प्रभावित पक्षकारो को बिना सुने ही अपीलाधीन निर्णय किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि प्रथम आदेशिका के जरिये प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जाकर विप्राथीगण के नोटिस जारी करने का आदेश पारित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 20–5–2016 को रखी गई थी परंतु पत्रावली मे दिनांक 20–5–2016 की कोई आदेशिका ही ड्रॉ नही की हुई है तथा सीधे पत्रावली दिनांक 10–6–2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे रखते हुए अप्रार्थीगण के नोटिस तामिली एवं उन्हे सुने बिना एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य हैं ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय वर्तमान अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति मे पारित किया गया होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हुई तथा जैसे ही अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तो जानकारी की दिनांक से अपील अंदर मयाद पेश कर दी थी तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का इसका उल्लेख करते हुए पेश किया गया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक10–6–2016 के विरूद्ध अपीलांट ने 4 वर्ष विलंब से अपील पेश की है तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी का कोई ठोस कारण का उल्लेख नही किया है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध मौका फर्द नेंखमबंदी जो दिनांक 23–2–2017 को सम्पन्न की गई थी उस फर्द पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर है तथा उक्त मौका फर्द उनकी उपस्थिति मे ही तैयार की गई थी इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को पूर्व से ही होते हुए अपील विलंब से पेश की है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे 2012 (1) डी.एन.जे. (राज)पेज 196 तथा 2014 (3) डी.एन.जे. (राज)पेज 1132की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि राजस्व लोक अदालत के आयोजन की आम सूचना समय समय पर दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशित की जाती है इसलिए अपीलांट को सूचित नही करने का कथन सही नही है वे केम्प मे उपस्थित हो सकते थे ।

अंत मे वकील रेस्पो0 ने अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका आदि का भी अवलोकन किया तथा रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना

अति० सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

पत्र मे वर्तमान अपीलांटगण को अप्राथीगण बनाया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13–5–2012 मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करने तथा विप्राथीगण के नोटिस जारी करने का आदेश पारित करते हुए आगामी पेशी दिनांक 20–5–2016 को रखी गई थी उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 20–5–2016 की कोई आदेशिका ही ड्रॉ नही की हुई है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण) के सम्मन तामिल अथवा अदम तामिल प्राप्त होना नही पाये गये और पत्रावली दिनांक 10–6–2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय मे पक्षकारान की उपस्थिति बताते हुए निर्णय पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एकतरफा पारित किया जाना प्रकट होता है।

चूँकि वर्तमान मामले मे अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जब यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांटगण एवं अन्य), प्रार्थीगण (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 5) की उक्त खातेदारी भूमि के पडौसी है जिनसे हमारे खेत की सीमा एवं सेढो को लेकर विवाद बना रहता है, जिससे काश्त के समय परेशानियो का सामना करना पडता है इसलिए इस विवाद को निबटाने के लिए प्राथीगण हमारे उक्त खातेदारी खेतो की सीमाज्ञान, पत्थरगढी एवं नेखमबंदी करवाने हेतु निवेदन किया, तो इससे यह स्पष्ट हो चुका था कि पक्षकारो के खातेदारी खेतो की सीमा को लेकर विवाद है तो ऐसे मे पडौसी खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था तथा उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान रिपोर्ट भी रेकर्ड मे उपलब्ध होना आवश्यक था जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न कोई निर्विवादित सीमा ज्ञान रिपोर्ट उपलब्ध नही थी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अपील के गुणावगुण पर विचार किया जाये तो धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी को पत्थरगढी का आदेश पारित करने से पूर्व निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट पक्षकारो पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार की हुई रेकर्ड पर उपलब्ध होना आवश्यक है परंतु वर्तमान मामले मे कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही थी, इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रकिया अपनाये बिना पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित

एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–6–2016 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 19 रकबा 43.12 बीघा, खसरा नंबर 21 रकबा 13.17 बीघा, खसरा नंबर 71 रकबा 4.18 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 0.04 बीघा तथा खसरा नंबर 230/85 रकबा 187 बीघा कुल 249. 17 बीघा भूमि सरहद मौजा सोखडो की बेरी, पटवार क्षेत्र साजियाली रूपजी राजाबेरी तहसील पंचपदरा के पडौसी खातेदारो (अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार) की उपस्थिति मे पहले सीमाज्ञान की कार्यवाही सम्पन्न करे तथा तत्पश्चात विधिवत पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः पत्थरगढी के संबंध मे विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर